मैनुअल–4

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

THE PROCEDURE FOLLOWED IN THE DECISION MAKING PROCESS, INCLUDING CHANNELS OF SUPERVISION AND ACCOUNTABILITY

विषय सूची

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
4	**मैनुअल–4 कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।**	
4.1	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम ।	03
4.2	पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड की माह मार्च 2021 की भौतिक प्रगति।	04

4.1 कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम :–

विभागीय कार्यक्रमों के निर्वहन हेतु प्रदेश के अन्तर्गत निदेशालय स्तर से अपर निदेशक, मंडलं को लक्ष्यों का आवंटन किया जाता है, जिसकी जनदवार मासिक प्रगति प्राप्त कर निदेशालय स्तर पर संकलित की जाती है, तथा मदवार समीक्षाकर न्यूनतम प्रगति वाले कार्यक्रमों की ओर अपेक्षित प्रगति प्राप्त करने हेतु मार्ग निर्देश दिये जाते है तथा विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करते हुये समय–समय पर विभागीय मानको के अनुरूप समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाते है ।

पशुपालन विभाग द्वारा स्थापित मानक

1.प्रति मेढा गर्भाधान	–	50 भेड़
2.उत्पन्न संतति	–	60 प्रतिशत
3.मृत्यु दर प्रतिशत	–	10 प्रतिशत वयस्क, वत्सो मे 12 प्रतिशत
4.ऊन उत्पादन		– प्रतिवर्ष प्रति भेड़ 1.500 किग्रा से 2.000 किग्रा तक
5.अन्य	–	लक्ष्यानुसार प्रगति समीक्षा की जाती है ।

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा स्थापित मानक/नियम

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापो/कार्यक्रमो के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक/नियमो का कार्यक्रमवार विवरण ।

नैसर्गिक अभिजनन हेतु सॉड वितरण के मापदण्ड

गाय सांडो हेतु मानक :–

नस्ल	–	जर्सी, जर्सी क्रॉस, एच0एफ0, एच0एफ0क्रास, रेड सिन्धी
स्वास्थ्य	–	उत्तम
.नर जननेद्रियां	–	विकसित

भैंसा सांड हेतु मानक :–

.नस्ल	–	मुर्रा
.स्वास्थ्य	–	उत्तम
.नर जननेद्रियां		– विकसित

तरल नत्रजन एवं अतिहिमीकृत/एस.एस.एस. वीर्य के वितरण का मापदण्ड :–

.प्रत्येक माह मे निश्चित अंतराल पर निरंतर कृ0ग0 केन्द्रो पर यू0एल0डी0बी0 के वितरण कर्ता द्वारा मांग के अनुसार चालान द्वारा संबंधित केन्द्र प्रभारी को अतिहिमीकृत वीर्य,तरल नत्रजन,शीथ व स्टेशनरी आदि के आपूर्ति सुनिश्चित, जिसका वितरण यू0एल0डी0बी0 द्वारा प्रदत्त पंजिकाओ मे अंकित करना अनिवार्य है ।

.प्रत्येक माह मे अधिकतम 35 लीटर तक तरल नत्रजन की आपूर्ति एक कृ0ग0 केन्द्र/उपकेन्द्र हेतु निश्चित ।

अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रा की आपूर्ति न्यूनतम 80 की पैकिंग में ।

कृत्रिम गर्भाधान हेतु मापदण्ड :–

. पशु के गर्मी मे आने की सूचना प्राप्त होने पर पशुपालक के द्वार पर कृ0ग0 कार्य होगा, पशु को केन्द्र पर लाने की बाध्यता नही।

.प्रत्येक राजकीय कृ0ग0 केन्द्र पर सेवा शुल्क रूपया 60.00 मात्र एवं पशुपालक के द्वार पर शुल्क रूपया 100.00 मात्र।

.प्रत्येक कृ0ग0 केन्द्र हेतु एक ही स्ट्रा का प्रयोग निर्धारित। प्रत्येक अतिरिक्त स्ट्रा के उपयोग पर रूपया 60.00 मात्र का अतिरिक्त शुल्क जमा करना अनिवार्य। प्राप्त शुल्क को उसी दिन कैश बुक मे अंकित करना अनिवार्य ।

.निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार कृ0ग0 कार्य किया जाना अपरिहार्य।

.अधिकतम क्षतिग्रस्त स्ट्रा की सीमा वर्ष मे कुल आपूर्ति का 3 प्रतिशत तक ही मान्य अधिक क्षतिग्रस्त की स्थिति मे प्रति स्ट्रा रूपया 60.00 मात्र का भुगतान अनिवार्य।

4.2 <u>पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड की माह मार्च 2025 की भौतिक प्रगति</u> :–

- **28.00 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2025, 35.46 लाख (126.64%) पशुओं को वर्तमान माह तक पशु चिकित्सा** सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ पशुस्वामियों को तकनीकी परामर्श, पशुचिकित्सासेवायें एवं स्वास्थ्य योजनान्तर्गत सुलभ कराया गया ।
- **1.00 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2025 तक 1.19 लाख (119.75%)** अवांछनीय नर पशुओं का **बधियाकरण** कर प्रजनन योग्य **पशुओं** में उनका अनुवांशकी योगदान रोका गया।
- **86.86 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2025 तक 77.50 लाख (89.22%)** टीकाकरण पशु और पक्षियों मे संक्रामक रोगों एवं महामारी के बचाव हेतु किया गया।
- **8.50 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2025 तक 8.38 लाख (98.62%)** गौ एवं महिषवंशीय पशुओं को पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अर्न्तगत पशुपालक के द्वार पर **कृत्रिम गर्भाधान विधि** से गर्भाधान करवाया गया। सम्पादित **कृत्रिम गर्भाधान** द्वारा गाय व भैंसो में **3.25 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2025 तक 2.97 लाख (91. 29%)** उन्नत **नस्ल के वत्स** पैदा हुये।
- **44.00 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2025 तक 45.96 लाख (104.45%)** बड़े पशुओं में अन्तः कृर्मियों के नियंत्रण हेतु सामूहिक रूप से **दवापान** कराया गया।
- **2000 लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च, 2025 तक 3232 (161.60%)** बांझपन निवारण शिविरों का विभाग द्वारा आयोजन कर **60000 लक्ष्य के सापेक्ष 82,448 (137.41%)** बांझ पशुओं की चिकित्सा की गयी।
- **7.50 लाख के सापेक्ष मार्च, 2025, तक 9.60 लाख (127.94%)** भेड़ों को परजीवी कीटाणुओं से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा का सामूहिक रूप से **दवापान** कराया गया तथा **7.00 लाख लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च, 2025 तक 9.04 लाख (129.16%)** भेड़ों को वाह्य परजीवियों से वचाव हेतु **दवास्नान** कराया गया।
- भारतीय देशी नस्लों के सरंक्षण एंव संवर्द्धन के राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करने हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के प्रयोग से अब तक **570** रेड सिंधी स्वदेशी नस्ल की उत्तम गुणवत्ता की संतति उत्पन्न हुयी तथा इम्पोर्टेड एच एफ एवं जर्सी भूणों के प्रत्यारोपण से शुद्ध एच एफ नस्ल की 76 (42 नर व 34 मादा) संतति एवं जर्सी नस्ल की 80 (42 नर एवं 38 मादा) संतति उत्पन्न हुयी है। नर संततियों का उपयोग प्रदेश एवं देश के अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है।
- राज्य की ISO.9001:2000 एंव HACCP प्रमाणित अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला **में 14,61,547** उच्च गुणवत्ता के अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रा का उत्पादन किया गया।
- लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला ऋषिकेश में 2,09,697 उच्च गुणवत्ता के लिंग वर्गीकृत वीर्य स्ट्रा का उत्पादन किया गया।